



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012023-241939
CG-DL-E-13012023-241939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]
No. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 218(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH75 के कि.मी. 255.64 से कि.मी.263.5 (एचआईजी-64, डीटीडीसी क्यूरियर कार्यालय भवन, प्रथम तल केएचबी कॉलोनी, केएसआरसीटीसी न्यू बस स्टैंड के सामने चन्नापटाना, हासन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH75 के कि.मी. 255.64 से कि.मी.263.5 (एचआईजी-64, डीटीडीसी क्यूरियर कार्यालय भवन, प्रथम तल केएचबी कॉलोनी, केएसआरसीटीसी न्यू बस स्टैंड के सामने चन्नापटाना, हासन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: दक्षिण कन्नड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कडबा					
गांव का नाम: शिराडी					
1	123/1	सरकारी(रक्षा शिविर)	सरकारी भूमि	425.2750000(वर्ग मीटर)	0.0425275
2	123/2	सरकारी(रक्षा शिविर)	सरकारी भूमि	632.6800000(वर्ग मीटर)	0.0632680
3	162	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	1,480.3700000(वर्ग मीटर)	0.1480370
4	2	सरकारी(कृषि भूमि)	सरकारी भूमि	341.0850000(वर्ग मीटर)	0.0341085
5	3/1A1	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	179.1200000(वर्ग मीटर)	0.0179120
6	3/1A2	सरकारी	सरकारी भूमि	193.1430000(वर्ग मीटर)	0.0193143
7	3/1B	निजी(कृषि भूमि)	सूखा	414.9200000(वर्ग मीटर)	0.0414920
8	3/2A1	निजी(कृषि भूमि)	गीला	529.9600000(वर्ग मीटर)	0.0529960
9	3/2A2	निजी(कृषि भूमि)	गीला	46.5240000(वर्ग मीटर)	0.0046524
10	66	सरकारी(जंगल)	जंगल	90,419.3500000(वर्ग मीटर)	9.0419400
11	68	सरकारी	सरकारी भूमि	34,000.8100000(वर्ग मीटर)	3.4000810
12	87	सरकारी(सरकारी भूमि)	सरकारी भूमि	52,550.9900000(वर्ग मीटर)	5.2551000

गांव का नाम: शिरावगीलु					
1	22	सरकारी	फॉरेस्ट	9,250.3000000(वर्ग मीटर)	0.9250300
कुल				190,464.5270	19.0465

[फा. सं. NHAI/PIU-HSN/30001/4/3/1085/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 218(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km 255.64 to Km263.5 (HIG-64, DTDC Currier office Building, First Floor KHB Colony, Channapatana Opposite KSRCTC New Bus Stand Hassan) in the district of DAKSHINA KANNADA in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH75 in the stretch of land from Km 255.64 to Km263.5 (HIG-64, DTDC Currier office Building, First Floor KHB Colony, Channapatana Opposite KSRCTC New Bus Stand Hassan) in the district of DAKSHINA KANNADA in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: DAKSHINA KANNADA			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kadaba					
Village: Shiradi					
1	123/1	Government(Defence Camp)	Government	425.2750000(Square Meter)	0.0425275
2	123/2	Government(Defence Camp)	Government	632.6800000(Square Meter)	0.0632680
3	162	Private(Agriculture)	Dry	1,480.3700000(Square Meter)	0.1480370
4	2	Government(Agriculture)	Government	341.0850000(Square Meter)	0.0341085
5	3/1A1	Private(Agriculture)	Dry	179.1200000(Square Meter)	0.0179120

6	3/1A2	Government	Government	193.1430000(Square Meter)	0.0193143
7	3/1B	Private(Agriculture)	Dry	414.9200000(Square Meter)	0.0414920
8	3/2A1	Private(Agriculture)	wet	529.9600000(Square Meter)	0.0529960
9	3/2A2	Private(Agriculture)	wet	46.5240000(Square Meter)	0.0046524
10	66	Government	Forest	90,419.3500000(Square Meter)	9.0419400
11	68	Government	Government	34,000.8100000(Square Meter)	3.4000810
12	87	Government	Government	52,550.9900000(Square Meter)	5.2551000
Village: Shiravagilu					
1	22	Government	Forest	9,250.3000000(Square Meter)	0.9250300
Total				190,464.5270	19.0465

[F. No. NHAI/PIU-HSN/30001/4/3/1085/3A1]

RAJESH GUPTA, Director